भारत सरकार/GOVT. OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, (DEPTT. OF O.L.)
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली)
NORTHERN REGIONAL IMPLEMENTATION OFFICE-1 (DELHI)
तृतीय तल, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम्, नई दिल्ली-110066,
3rd FLOOR, TRIKOOT-II, BHIKAJI CAMA PLACE, R.K. PURAM, NEW DELHI-110066,
दूरभाष/Telephone 011-20867260, 20867261 ईमेल/Email – ddriodel-dol@nic.in

274
18/5/2
54

19/453/2017-उ.क्षे.का.का.-1(दि.)/ दिनांक : 24 मार्च, 2023

सेवा में,

श्री संदीप प्रधान
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
दक्षिण दिल्ली-2 (का0) एवं महानिदेशक,
भारतीय खेल प्राधिकरण,
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम परिसर, पूर्वी द्वार नं.10
लोधी रोड, नई दिल्ली-110066

विषय:- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली-2 (का0) की अध्यक्षता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के अ.शा. पत्र सं.12024/10/2022-रा.भा.(का.2), दिनांक 10.03.2023 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न), जोकि आपकी सहमति के उपरांत नराकास दक्षिण दिल्ली-2 (का0) की अध्यक्षता आपको परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली-2 (का0) की बैठकों हेतु **मई/अक्तूबर** कैलेंडर निर्धारित किया गया है, निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समिति की बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि निर्धारित माह में ही समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करवाएं। बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग एवं इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व किया जा सके। नराकास के सदस्य कार्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

शुभकामनाओं सहित!

भवदीय,

(कुमार पाल शर्मा)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बी-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, द्वितीय तल, आर के पुरम्, नई दिल्ली-110066 – को इस अनुरोध साथ प्रेषित कि नराकास, दक्षिण दिल्ली-2 (का0) से संबंधित दस्तावेज नए नराकास कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

35
53

बी.एल.मीना
निदेशक (कार्यान्वयन),
राजभाषा विभाग
दूरभाष: 23438129

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
एन.डी.सी.सी.॥ बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NDCC-II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI - 110001

अ.शा.पत्र सं. 12024/10/2022-रा.भा(का.2)
दिनांक :10.03.2023

आदरणीय महोदय,

आपको विदित ही होगा कि राजभाषा विभाग द्वारा देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित हैं। इसी तरह की एक समिति नराकास, **दक्षिण दिल्ली-2(का.)** में गठित है। राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) द्वारा किए गए अनुरोध तथा आपके द्वारा समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने हेतु दी गई सहमति के आधार पर अब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, **दक्षिण दिल्ली-2(का.)** की अध्यक्षता आपको सौंपने का निर्णय लिया गया है।

2. विभाग द्वारा नगर राजभाषा समितियों की बैठकों हेतु निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समिति की बैठकें मई/अक्टूबर माहों में आयोजित की जानी अपेक्षित हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित माह में ही समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करवाएं। बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली को भिजवा दिया करें ।

3. **नराकास की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चेक लिस्ट निम्नवत है :-**

(i) कार्यालय प्रमुख द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठकें - प्रत्येक सदस्य-कार्यालय के प्रमुख द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठकों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति संबंधी मद स्थायी रूप से शामिल करवाना ।

(ii) पदों का सृजन - सदस्य कार्यालयों में हिंदी के कार्य के निष्पादन के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन करना, पिरामिडकल ढांचा सुनिश्चित करना तथा रिक्त पदों को भरना ।

(iii) वेबसाइट को संवर्धित व द्विभाषी बनाना - सदस्य-कार्यालयों की वेबसाइट को द्विभाषी बनवाना और उसे अद्यतित रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

(iv) वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा - राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(v) तिमाही पत्राचार की समीक्षा - सदस्य कार्यालयों की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत रूप से समीक्षा करना।

(vi) हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्य-मुक्त करवाना।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी - कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्यालय में यूनिकोड का उपयोग सुनिश्चित करवाना।

(viii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित तथा उपलब्ध कराए गए ई-टूल्स/साफ्टवेयरों के बारे में जागरूकता पैदा करके अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिलवाना।

(ix) हिंदी टंककों और आशुलिपिकों की हिंदी जानने वाले अधिकारियों के साथ तैनाती सुनिश्चित करवाना।

15

(x) धारा 3(3) के अभिलेखों का सुविचारित सूचीकरण करना।

(xi) नियम 11 के अंतर्गत कार्रवाई की समीक्षा करना।

(xii) संगोष्ठियां - हिंदी से संबंधित सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करना तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों आदि को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।

(xiii) पत्रिकाओं का प्रकाशन - सदस्य-कार्यालयों को हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना और श्रेष्ठ पत्रिकाओं को सम्मानित करना ।

(xiv) नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार करना ।

4. कृपया नराकास की बैठकों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से विचार करना सुनिश्चित करें।

5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना एवं इन समितियों की अध्यक्षता परिवर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रतिलिपि आपके सुलभ संदर्भ के लिए अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

6. आशा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, **दक्षिण दिल्ली-2(का.)** आपकी अध्यक्षता में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर सदस्य कार्यालयों का उत्साहवर्धन करेगी।

सादर,

आपका,

(बी.एल.मीना)
निदेशक (कार्यान्वयन)

श्री संदीप प्रधान,
महानिदेशक,
भारतीय खेल प्राधिकरण,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि :-

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, 18ए शहीदजीत सिंह मार्ग, एनआरपीसी बिल्डिंग, कटवरिया सराय नई दिल्ली-110016 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की समिति से संबंधित सभी कागजात वर्तमान अध्यक्ष को उपलब्ध करवा दें।
2. उपनिदेशक (कार्यान्वयन), उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1(का.), तृतीय तल, त्रिकूट-II, आर.के. पुरम, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110006 को सूचनार्थ ।
3. गार्ड फाइल ।

अनुलग्नक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन, संचालन, उद्देश्य, संरचना व अन्य प्रासंगिक क्रियात्मक पक्ष

I (i) **गठन:**राजभाषा विभाग के दिनांक 22-11-1976 के का.ज्ञा. सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(क-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या 10 से अधिक कार्यालय हों,नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार के सचिव, राजभाषा विभाग की अनुमति से किया जाता है।

(ii) **उद्देश्य:** नगर राजभाषा कार्यान्यन समितियों को बनाने का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्य़ान्वयन के मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर कार्यालयों/उपक्रमों/ बैंकों आदि के अधिकारी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी का आदान-प्रदान कर अपनी अपनी उपलब्धि स्तर में सुधार ला सकते हैं।

(iii) **अध्यक्षता:**इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। समिति के गठन का प्रस्ताव भेजते समय, प्रस्तावित अध्यक्ष अपनी लिखित सहमति विभाग को भेजते हैं जिस पर सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन के पश्चात उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

(iv) **सदस्य सचिव:**समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष अपने कार्यालय अथवा किसी अन्य सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य सचिव मनोनीत करते हैं। समिति के कार्यकलाप, अध्यक्ष की अनुमति से, सदस्य सचिव द्वारा किए जाते हैं।

(v) **बैठकें:**वर्ष में समिति की दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रथम बैठक गठन के दो माह के अंदर व दूसरी उसके छः माह पश्चात की जानी अपेक्षित है । समिति की बैठकों के लिए माहों का निर्धारण राजभाषा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। बैठकों के आयोजन की सूचना नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को अवश्य दी जाए ताकि उनमें तैनात अधिकारी बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें।

(vi) **प्रतिनिधित्व :**समिति की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि के कार्यालय प्रमुखों द्वारा स्वयं भाग लेना अपेक्षित हैं क्योंकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व

कार्यालय प्रमुख को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) /क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी भी इन बैठकों में भाग लेते हैं। इनके अलावा इन बैठकों में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों तथा नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाए।

ज्ञातव्य हैकि राजभाषा हिंदी के कार्य को विशेष महत्व देने और कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उल्लेख कार्मिकों के वार्षिक एपीएआर के पेन पिक्चर संबंधी कॉलम में किए जाने का प्रावधान है।

(vii)**समितियों का वर्गीकरण एवं बैठकों हेतु प्रतिपूर्ति राशि :**सदस्य कार्यालयों की संख्या के आधार पर समितियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 10-50 सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को रुपए4500/- प्रति बैठक, 51-100 सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को रुपए 6250/- प्रति बैठक, और 101 या इससे अधिक सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को रुपए7500/- प्रति बैठक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं उपक्रमों के लिए पृथक रूप से गठित समितियों को कोई व्यय राशि प्रदान नहीं की जाती । समिति की बैठक पर हुए व्यय का एक उपयोग प्रमाण-पत्र(राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में) समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से, राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को बैठक के आयोजन के 15 दिन के अंदर भेजा जाना चाहिए।

(viii)**सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति को पुरस्कार:** राजभाषा विभाग के द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है ।

II(1)नराकास की अध्यक्षता-परिवर्तन के प्रस्ताव की प्रक्रिया

(i) राजभाषा विभाग के पूर्वानुमोदन से ही अध्यक्षता में परिवर्तन सम्भव होगा।

(ii) विभाग को अध्यक्षता में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित अध्यक्ष की लिखित सहमति प्रस्ताव के साथ भेजी जाएगी।

(iv) नराकास की अध्यक्षता का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानीय स्तर पर पारस्परिक रजामन्दी से परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

न.रा.का.स. की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चैक लिस्ट-

(i) **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन** -बैठकें नियमित रूप से राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कैलेंडर माह में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित करना और बैठक में सदस्य कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।

(ii) **वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा**- राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(iii) **तिमाही पत्राचार की समीक्षा** - सदस्य कार्यालयों की हिंदी की पिछली दो तिमाही प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत रूप से समीक्षा करना। सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नई पहल करने वाले कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय की ओर से बैठक के दौरान ,उनके द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु की गई नई पहल पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया जाए ताकि अन्य कार्यालय भी उसका अनुकरण कर सकें । साथ ही ,अपेक्षा के अनुरूप कार्य निष्पादन न कर पाने वाले कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार के लिए कार्य-योजना तैयार की जाए तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई / कार्य में प्रगति की समीक्षा अगली बैठक के दौरान की जाए ।

(iv) नराकास की प्रत्येक बैठक से पूर्व सदस्य सचिव, सदस्य कार्यालयों से उनकी समस्याओं/कठिनाईयों पर रिपोर्ट मंगवाए। बैठक के दौरान इन समस्याओं/कठिनाईयों को दूर करने के लिए निर्णय लिए जाएं और निर्णयों को लागू करने की कार्य योजना बनाई जाए।

(v) **सूचना प्रबंधन प्रणाली** -राजभाषा विभाग की वेबसाइट में नराकास की बैठकों संबंधी विवरण यथा समय अपलोड करना तथा सूचनाएं अद्यदित रखना ।

(vi) **प्रशिक्षण को प्राथमिकता** - हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त कराना।

(vii) **प्रत्येक सदस्यकार्यालयों** के प्रमुखों द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठकों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति संबंधी मद स्थायी रूप से शामिल करवाना ।

(viii) **सूचना प्रौद्योगिकी** - कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्यालय में यूनिकोड का उपयोग सुनिश्चित करवाना एवं सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले सिस्टम साफ्टवेयर में हिंदी में कार्य करने की सुविधा एवं उसका प्रयोग सुनिश्चित करना।इस क्षेत्र में हुई नई प्रगति व नए आई.टी.टूल्स के बारे में सदस्य कार्यालयों को अवगत कराना।

(ix) **वेबसाइट को संवर्धित व द्विभाषीय बनाना** - सदस्य-कार्यालयों की वेबसाइट को द्विभाषीय बनवाने और उसे अद्यतित रखने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(x) **सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण**– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित तथा उपलब्ध कराए गए ई-टूल्स/साफ्टवेयरों के बारे में जागरूकता पैदा करके अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिलवाना।

(xi) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट** को ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करना ।

(xii) **पदों का सृजन, रिक्तियों को भरना व संवर्ग का पिरामिडिकल ढांचा सुनिश्चित करवाना**- सदस्य कार्यालयों में हिंदी कार्य के निष्पादन के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन करवाना, पिरामिडिकल ढांचा सुनिश्चित करवाना तथा रिक्त पद भरवाना।

(xiii) **राजभाषा नियम 11 का अनुपालन**– राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के कार्यालय से संबंधित मैनुअल, संहिताएं, प्रकिया संबंधी साहित्य, रजिस्टर, नामपटट, सूचना पटट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में मुद्रण अथवा उत्कीर्ण होना सुनिश्चित करवाना|

(xiv) **हिंदी टंककों और आशुलिपिकों की तैनाती** - हिंदी टंककों और आशुलिपिकों की हिंदी जानने वाले अधिकारियों के साथ तैनाती सुनिश्चित करवाना।

(xv) **संगोष्ठियां** - हिंदी से संबंधित सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करना तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों आदि को पुरस्कार/ प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।

(xvi) **पत्रिकाओं का प्रकाशन**-नराकास स्तर पर पत्रिका प्रकाशन करना तथा सदस्य-कार्यालयों को हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना और प्रकाशित करने वाले सदस्य कार्यालयों को सम्मानित करना।

अनुरोध है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति की बैठकों की कार्यवाही चलाई जाए। इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए राजभाषा विभाग(मुख्यालय), नई दिल्ली अथवा संबंधितक्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

******